[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 19/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल 2019

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतदवारा अधिसूचना सं. 25/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 16.11.2018, का.आ.5770 (अ) दिनांक 16.11.2018 द्वारा प्रकाशित, मे निम्नलिखित संशोधन करते है

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं. 17 के स्तंभ सं. 3 में मौजूद प्रविष्टि को "फ़ा. सं. DRI/KZU/CF/ Enq-54 (Int-42)/2016 दिनांक 25.10.2018, दिनांक 05.03.2019 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय" पढ़ा जाए, और क्रम सं. 17 के स्तंभ सं. 4 और 5 मे वर्णित शब्दों, "प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-IV), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़", जहाँ भी हो, को "प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-II), मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़" पढ़ा जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-22/2018-CI]

(सुचेता श्रीजेश)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतू प्रेषित

1. **प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-II), मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ को उनके पत्र सं. F. No. CC(NS-II)/MRM-01/2017-18, JNCH दिनांक 18.03.2019 के संदर्भ मे**
2. **प्रधान/अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, कोलकाता ज़ोनल यूनिट को इस निवेदन के साथ कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.10.2018 नोटिसी को नियुक्त नए समान न्याय निर्णयन अधिकारी के बारे मे सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ो (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त नए समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें**